Gift of the United States Government

MUKTI SOUTH ASIA
Event Report

NAME OF EVENT	**BUILDING CAPACITY OF COMMUNITY LEVEL INSTITUTIONS.**		
NAME OF PARTNER	**JHARKHAND VIKAS PARISHAD**	**REPORT DATE**	25/02/24
MAIN OBJECTIVE OF EVENT (MEETING, ORIENTATION, TRAINING/WORKSHOP AND ETC)	**BUILDING CAPACITY OF COMMUNITY LEVEL MEETING.**		
PLACE	सीता पहाड़		

Introduction: 22/02/24 को विजयपुर में सामुदायिक स्तरीय संस्थानों के साथ झारखण्ड विकास परिषद् MSA परियोजना बरहरवा और पतना के 10-10- गाँवो में मानव तस्करी,यौन शोषण एवं बाल संरक्षण को लेकर स्रोत झारखण्ड एवं गन्तव्य दिल्ली दोनों जगह पर काम कर रही है, एवं इस योजना के तहत vlcpc, smc,आतो बैसी,ICDS,Pri,SHG समूह के संस्थानों का बालसंरक्षण के विभंन्न मुद्दों पर क्षमतावर्धन कर रही है,ताकि हमलोग हर बच्चो का संरक्षण सुनिश्चित कर सके 1

Event Overview: सामुदायिक स्तरीय संस्थानों में vlcpc, smc,आतो बैसी,ICDS,SHG,Pri मेम्बर इत्यादि संस्थानों का बालसंरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर क्षमता वर्धन कार्यशाला के दौरान उपस्थित समितियो को बच्चा किसे कहेंगे, बच्चो के अधिकार कितने है, बाल तस्करी, यौन शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह,जैसे मुद्दों पर क्षमता वर्धन किया गया साथ ही बच्चो के संरक्षण के लिए जो हितधारक है जैसे :- CWC,JJB,DCPO,SHELTER HOME, बाल मित्र थाना, BDO/CDPO इत्यादि हितधारक कैसे बच्चो के संरक्षण के लिए मिल के काम कर रहे है 1 इन मुद्दों पर उनका क्षमता वर्धन किया गया 1

Purpose of the event: vlcpc, smc, आतो बैसी,ICDS,SHG,Pri मेम्बर एवं अन्य सामुदायिक संस्थानो का क्षमतावर्धन करना ताकि वे अपने समुदाय में देखभाल एवं जरुरतमंद वाले बच्चो को चिन्हित करके उन्हें सरकार के विभिन्न योजनाओ एवं शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर उनका सर्वागीण विकास के बारे में ये समितियां खुद से पहल करें 1

Key Activities:-

- बच्चा किसे बोल सकते है :- अमित झा ने बताया की किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण), 2015 की धारा 2(12) के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नही की है, उसे बच्चा माना गया है
- बच्चो के कितने एवं कौन-कौन से अधिकार है :- खगेश साहा ने उपस्थित समितियों को बच्चो के अधिकार के बारे में बताया की बच्चो के चार अधिकार होते हैं:- 1. जीने का अधिकार 2. विकास का अधिकार 3.सुरक्षा का अधिकार 4.सहभागिता का अधिकार 1 सभी अधिकारों को अमित झा ने विस्तारपूर्वक सभी समितियों को समझाया 1 इस पर सेविका नौमी हांसदा ने बतया की हमलोग अपने समिति में वैसे बच्चो को चिन्हित करके उनको मदत दिलवाना है,जिनका ये चारो अधिकारों का हनन हो रहा है 1
- देखभाल एवं जरूरतमंद वाले बच्चे कौन-कौन है :- सड़क के बच्चे,अनाथ,परित्यक्त और बेसहारा बच्चे,कामकाजी बच्चे (श्रमिक बच्चे),शोषितउत्पीड़ित बच्चे/,वे बच्चे जो वेश्यावृत्ति कराने व अवैध बाल व्यापर के शिकार हैं,नशे की लत के शिकार बच्चे,अपाहिज बच्चे,मानसिक रूप से बीमार बच्चे,विधि का उलंघन करनेवाले किशोर 1 इस पर समितियों ने बताया की हमारे गाँव में कुछ अनाथ एवं बेसहारा बच्चे है, उनको हमलोग कैसे मदत दिला सकते है, इस पर खगेश साहा ने स्पोंसरशिप योजना,फास्टर केयर योजना के बारे में लोगो को जानकारी दी एवं इसकी प्रक्रिया को भी बताया साथ इन बच्चो का विवरण भी ले लिया गया 1
- बाल तस्करी एवं यौन शोषण पर समितियों को बतया की -: बाल तस्करी वह है, जहां बच्चों और युवाओं को धोखा दिया जाता है,उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है या उन्हें घर से बाहर ले जाया जाता है

और फिर उनका शोषण किया जाता है, काम करने के लिए मजबूर किया जाता है या बेच दिया जाता है।

बच्चों की तस्करी किन उद्देसेय की जाती है:-

- यौन शोषण
- ज़बरदस्ती की शादी
- सफाई, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल जैसी घरेलू गुलामी
- लाभ धोखाधड़ी
- कारखानों या कृषि में जबरन मजदूरी
- अपराध करना, जैसे भीख मांगना, चोरी करना, भांग के खेतों में काम करना या नशीली दवाएं ले जाना

- बाल विवाह एवं बाल मजदूरी पर भी समितियों की समझ बनाई 1
- ग्राम बाल संरक्षण समिति के बारे में भी सभी लोगो को जानकारी देते हुए बतया गया की इसमें कितने सदस्य होते है एवं समिति का उद्देसेय के बारे में बताते हुए अमित झा ने बताया की :- किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं सरंक्षण में मिशन वात्सल्य योजना के तहत ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों की स्थापना करेगी। इस नियम के प्रावधानों के अनुरूप समेकित मिशन वात्सल्य योजना के अनुसार 18 वर्ष से कम आयुवर्ग के शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए समुदाय स्तर पर एक सुरक्षा कवच नर्मित करने, बाल संरक्षण के लिए उचित परिवेश का निर्माण करने, बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने, उचित पालन और देख रेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। समिति समुदाय आधारित बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करेगी।
- **Key achievements:-**
- सामुदायिक स्तरीय संस्थानों का बालसंरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर क्षमता वर्धन कार्यशाला का उद्देसेय सफलतापुर्वक पूर्ण हुआ1
- इस क्षमता वर्धन कार्यशाला में उपस्थित समितियों को बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों एवं बाल अधिकार पर समझ बन गई1
- सभी समितियों ने आज के इस कार्यशाला में निर्णय लिया की बच्चो से सम्धित इस तरह की समस्या को हमलोग चिन्हित करके अपने - अपने समितियों में इस पर विचार करके हमलोग ऐसे बच्चो का सर्वागींन विकास कैसे संभव होगा इस पर चर्चा करके समाधान करेंगे 1
- आतो बैसी, SMC, SHG, PRI, VLCPC, ICDS के सभी सदस्यों ने बताया की बच्चो से सम्धित ऐसी घटना होने झारखण्ड विकास परिषद् के कार्यकर्ता एवं 1098 या फिर 112 पर भी सूचना देंगे 1

WAY FORWARDS:-

- उपस्तिथ समितियों ने बताया की इस प्रकार के कार्यक्रम समितियों के अलावे ग्रामीणों के साथ भी होनी चाहिए एवं हमलोगों के साथ-साथ उनकी भी समझ इन मुद्दों पर बने ताकि उन्हें भी ऐसी समस्यों की समझ बनें 1
- वार्ड सदस्य एवं smc का कहना था की यदि हमलोगों को इस तरह की जानकारी मिलती है तोह हमलोग अपने बाकी बच्चो को भी इन मुद्दों पर अपने विद्यालय में जागरूक कर सकते है 1

RECOMMENDATIONS/CONCLUSION:

सामुदायिक स्तरीय क्षमता वर्धन कार्यशाला सभी समितियों के सहयोग से सफलता पूर्वक सधन्यवाद के साथ पूरा किया गया 1